

प्रतिवेदन

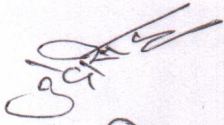
परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनोली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।

लम्बाई :- 8.500 कि०मी० (0.537 हे०)

उपरोक्त मोटर मार्ग शासनादेश संख्या 2491/111-2/06-36(प्रा.आ.)/06 दिनांक 19.09.2006 द्वारा 160.20 लाख रु० की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग स्थानीय जनता एवं ग्रामवासियों द्वारा बार-बार की जा रही है।

इस मार्ग के बनने से ग्राम सरपटा-चनोली-कोटा-कोटली-सौरे आदि ग्रामवासियों को आर्थिक तथा व्यवसायिक लाभ मिलेगा व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस मोटर मार्ग में 0.250 हे० राज्य बेनाप वनभूमि तथा 0.287 वन पंचायत भूमि तथा 7.1/3६ नाप भूमि प्रभावित होती है।

अतः उपरोक्त मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.537 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

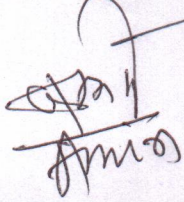


(डी.एस.जरमाल)

कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

रानीखेत (अल्मोड़ा)

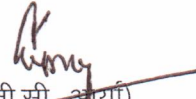


(जी.सी. आर्या)

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

रानीखेत (अल्मोड़ा)



(के.एस. असवाल)

अधिशाली अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

रानीखेत (अल्मोड़ा)

